12/2/24

-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा-5 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र
बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने
निवेदन किया कि प्रकरण मुआवजों पर
मुद्दे हो वहां परिसीमा का बिन्दु गौण
हो जाता है। तथा जिस प्रकरण में न्याय
का हनन हुआ हो तो परिसीमा का बिन्दु
का कोई औचित्य ही नहीं रहता है।
दिनांक-26-10-2021 को मौके पर प्रार्थी
हाकिमदे के उपस्थापित कब्जा काश्त
में अनुचित दखल दी प्रार्थी को आरम्भ
एवं उनके पुत्र द्वारा उनके हल उतार
कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया
जाने लगा। निवेदन किया कि विवाद
समन्यावादियों को कब्जा करना न्याय हित
में है। बहस के दौरान विप्रार्थी अधिवक्ता
ने अपने जवाब में निवेदन किया कि
हस्तगत रिव्यू का प्रार्थना-पत्र निर्णय एवं
डिक्री दिनांक 20/10/2003 के विरुद्ध
प्रस्तुत की है। जो लगभग 18वर्ष बाद
प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट रूप से
मियाद बाहर है इसलिये रिव्यू का प्रार्थना
पत्र चलने योग्य नहीं है।
विप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने पक्ष में निम्न
सिद्धान्त पेश किये।

RRD 1999 Page-149
RRD 1972 Page-177
RRD 1971 Page-194

[signature]

हाकिम [illegible], [illegible]

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	उत्तरप्रार्थीगण अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों को विधिक न्यायिक दृष्टि से अवलोकन पश्चात स्पष्ट है कि रिव्यू की प्रार्थना पत्र निर्णय के लगभग 18 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है साथ ही धारा 229 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधिवत अध्ययन किया गया जिससे समय सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इस प्रकार हस्तगत पत्रावली एवं उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्टतया म्याद बाहर है जो खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) 12/2/24